पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 257/2018

1. लिखमाराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
3. रोहताश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
4. रोशनी पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
5. पार्वती पत्नी तुलछाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
6. विमला पत्नी लिखमाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
7. भादरराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1 बलवीर पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
2 दलीप पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
3 झिण्डूराम पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
4 रामकुमार पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
5 आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक कलाना।
6 एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
7 पीएनबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
8 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विरेन्द्र जाखड एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामजस गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रानबास के खसरा सं0 12 की 3.137है0, खसरा सं0 89 की 2.872है0, कुल 6.009है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से लेखु वल्द किरताराम व दर 1/2 हिस्सा को कलमजन किया जाकर उक्त वर्णित वादभूमि में वादी लिखमाराम का 1/5 हिस्सा, वादी सुरेश कुमार व रोहताश कुमार का संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा, वादी भादरराम का 1/15 हिस्सा एवं वादी बिमला देवी 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी बलवीर व दलीप संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी झण्डू उर्फ झिण्डूराम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी रामकुमार का 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9.2.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

करण सं0 : 257/2018

1. लिखमाराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
3. रोहताश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
4. रोशनी पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
5. पार्वती पत्नी तुलछाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
6. विमला पत्नी लिखमाराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
7. भादरराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।

– वादीगण

ब ना भ

1. बलवीर पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
2. दलीप पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
3. झिण्डूराम पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
4. रामकुमार पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी रामबास त0 भादरा।
5. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक कलाना।
6. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
7. पीएनबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड : वादीगण

वकील श्री रामजस गढवाल: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 01.2.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रामबास के खसरा सं0 12 की 3.137है0, खसरा सं0 89 की 2.872है0, कुल 6.009है0 बारानी कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज धन्नाराम की खातेदारी हुआ करती थी। धन्नाराम के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि को धन्नाराम के पांचों पुत्रों हेतराम, किरताराम, नानकराम, जगुराम व श्योराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात 1/5–1/5 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हुई।

हेतराम का 1/5 हिस्सा उसके दत्तक पुत्र वादी लिखमाराम को प्राप्त हो गया तथा तुलछाराम के देहान्त होने पर तुलछाराम का 1/5 हिस्सा वादी सुरेश कुमार व रोहताश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई तथा नानकराम के देहान्त होने पर नानकराम का 1/5 हिस्सा उसके दत्तक पुत्र झिण्डूराम को प्राप्त हो गई। व जगुराम के देहान्त होने पर जगुराम का 1/5 हिस्सा रामकुमार को विरासतन प्राप्त हो गई तथा श्योराम के देहान्त हाने पर श्योराम का 1/5 हिस्सा उसके पुत्र बलवीर व दलीप को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन प्राप्त हुई। किरताराम के देहान्त होने

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned with CamScanner

पर किरताराम का 1/5 हिस्सा उसके पुत्र तुलछाराम, भादरराम व सुरजाराम व लेखू उर्फ लिखमाराम को बहिस्सा बराबर अर्थात 1/20–1/20 हिस्सा के अनुसार विरासतन प्राप्त हुई, तुलछाराम के देहान्त होने पर उसका 1/20 हिस्सा सुरेश व रोहताश, पार्वती, रोशनी को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई। जिसके बाद में पार्वती व रोशनी ने अपना हिस्सा सुरेश व रोहताश के पक्ष में दस्तबरदारी करवा दी। तथा सुरजाराम का 1/20 हिस्सा सुरजाराम के वारिसान को प्राप्त हो गया जिसके बाद सुरजाराम के वारिसान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बिमला को विकय कर दिया। लेखू उर्फ लिखमाराम हेतराम के खोला चले जाने के बाद लेखु उर्फ लिखमाराम ने सो किरताराम से 1/20 हिस्सा भूमि विरासतन दर्ज हो गई थी, उसे तुलछाराम, भादरराम व सुरजाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार उनके पक्ष में छोड गया था। किरताराम का पुत्र लेखु उर्फ लिखमाराम हेतराम के गोद चले जाने के बावजूद भी लेखु वल्द किरताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विमला पत्नी लिखमाराम नाम से 1/15 हिस्सा सुरेश, रोहताश के नाम से संयुक्त रूप से 1/20 हिस्सा बलवीर दलीप के नाम से संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा रामकुमार पुत्र जगु के नाम से 1/5 हिस्सा झंडु उर्फ झिण्डुराम पुत्र नानक के नाम से 1/5 हिस्सा, लिखमाराम पुत्र हेतराम के नाम से 1/5 हिस्सा लेखु वल्द किरता राम के नाम से 1/20 हिस्सा, भादर पुत्र किरता राम के नाम से 1/10 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा एवं भादरराम 1/15 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। जो राजस्व रिकॉर्ड एवं पक्षकारान के हिस्सा में आने वाली भूमि में हिस्साकसी मेल नहीं खा रही है तथा लेखु वल्द किरताराम जो कि हेतराम के गोद चला गया है, उसने अपना सम्पूर्ण हिस्सा किरताराम के बकाया पुत्रों को मिला हुआ है, फिर भी लेखु का भी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है तथा खाता में दर अंकित कर दी जिससे भी खाता का मिलान नहीं हो रहा है। जिसके चलते वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों का सही उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा खाता में लगी दर को हटवाये बिना खाता की हिस्साकसी मेल नहीं खा रही है।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 के द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है तथा हेतराम का 1/5 हिस्सा उसके दत्तक पुत्र वादी लिखमाराम को प्राप्त हो गया तथा तुलछाराम के देहान्त होने पर तुलछाराम का 1/5 हिस्सा वादी सुरेश कुमार व रोहताश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई तथा नानकराम के देहान्त होने पर नानकराम का 1/5 हिस्सा उसके दत्तक पुत्र झिण्डूराम को प्राप्त हो गई। व जगुराम के देहान्त होने पर जगुराम का 1/5 हिस्सा रामकुमार को विरासतन प्राप्त हो गई तथा श्योराम के देहान्त हाने पर श्योराम का 1/5 हिस्सा उसके पुत्र बलवीर व दलीप को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन प्राप्त हुई। किरताराम के देहान्त होने पर किरताराम का 1/5 हिस्सा उसके पुत्र तुलछाराम, भादरराम व

Scanned with CamScanner

सुरजाराम व लेखू उर्फ लिखमाराम को बहिस्सा बराबर अर्थात 1/20-1/20 हिस्सा के अनुसार विरासतन प्राप्त हुई, तुलछाराम के देहान्त होने पर उसका 1/20 हिस्सा सुरेश व रोहताश, पार्वती, रोशनी को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई। जिसके बाद में पार्वती व रोशनी ने अपना हिस्सा सुरेश व रोहताश के पक्ष में दस्तबरदारी करवा दी। तथा सुरजाराम का 1/20 हिस्सा सुरजाराम के वारिसान को प्राप्त हो गया जिसके बाद सुरजाराम के वारिसान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बिमला को विक्रय कर दिया। लेखु उर्फ लिखमाराम हेतराम के खोला चले जाने के बाद लेखु उर्फ लिखमाराम ने जो किरताराम से 1/20 हिस्सा भूमि विरासतन दर्ज हो गई थी, उसे तुलछाराम, भादरराम व सुरजाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार उनके पक्ष में छोड गया था। किरताराम का पुत्र लेखु उर्फ लिखमाराम हेतराम के गोद चले जाने के बावजूद भी लेखु वल्द किरताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अतः मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। रोही मौजा रामबास के खसरा सं0 12 की 3.137है0, खसरा सं0 89 की 2.872है0, कुल 6.009है0 बारानी कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज धन्नाराम की खातेदारी हुआ करती थी। धन्नाराम के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि को धन्नाराम के पांचों पुत्रों हेतराम, किरताराम, नानकराम, जगुराम व श्योराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात 1/5-1/5 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हुई उक्त वर्णित वादभूमि में वादी लिखमाराम का 1/5 हिस्सा, वादी सुरेश कुमार व रोहताश कुमार का संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा, वादी भादरराम का 1/15 हिस्सा एवं वादी बिमला देवी 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी बलवीर व दलीप संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी झण्डू उर्फ झिण्डूराम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी रामकुमार का 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रामबास के खसरा सं0 12 की 3.137है0, खसरा सं0 89 की 2.872है0, कुल 6.009है0 बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से लेखु वल्द किरताराम व दर 1/2 हिस्सा को कलमजन किया जाकर उक्त वर्णित वादभूमि में वादी लिखमाराम का 1/5 हिस्सा, वादी सुरेश कुमार व रोहताश कुमार का संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा, वादी भादरराम का 1/15 हिस्सा एवं वादी बिमला देवी 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी बलवीर व दलीप संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी झण्डू उर्फ झिण्डूराम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी रामकुमार का 1/5 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

3|P090

Scanned with CamScanner